मुसीबत

दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से आस पास के घरों में पानी भर गया है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फोटो : अरुष चोपड़ा

दिल्ली और नोएडा में पीट पीटकर ली दो लोगों की जान

अवैध संबंध पर पड़ोसी की हत्या, पति गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 अगस्त।

जैतपुर स्थित शिवपुरी इलाके में पत्नी के साथ अवैध संबंध की जानकारी मिलने पर पड़ोली की पीटकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप पति पर लगा है। पुलिस के मुताबिक, पति ने पत्नी को पड़ोसी के साथ अतरंग हालत में देख लिया था जिससे आग बबूला होकर उसने लोहे की छड़ से पड़ोसी को पीट-पीटकर मार डाला। हत्या के बाद पति फरार हो गया था, मंगलवार तड़के जैतपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी कासिम शेख को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल लोहे की छड़ भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। मारे गए शख्स विनोद के परिजनों के आने के बाद बुधवार को शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एम्स में सुरक्षित रखवा दिया है।

दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त चिन्मय बिस्वाल ने बताया कि विनोद यादव जैतपुर स्थित शिवपुरी इलाके में अकेला रहता था। वह घर बनाने का ठेका लेता था। उसके पड़ोस में ही कासिम शेख अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता है। वह कबाड़ी और गाड़ी साफ करने का काम करता है। सोमवार-मंगलवार की दरम्यानी रात करीब साढ़े 12 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि गली नंबर-आठ शिवपुरी मीठापुर में एक युवक की हत्या कर दी गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि सचिन पंडित नामक व्यक्ति का प्लॉट गली नंबर-9 के पास है। उसी प्लॉट के एक कमरे में एक युवक का शव पड़ा पड़ा था। उसकी पहचान उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद निवाली 28 साल के विनोद यादव के रूप में हुई। उपायुक्त ने बताया कि जैतपुर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कि पड़ोस में रहने वाला कासिम सोमवार रात घर से बाहर था। जब वह वापस आया तो अपनी पत्नी को विनोद यादव के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था।

उधार के पैसे मांगने पर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 20 अगस्त।

थाना बादलपुर के गांव धर्मपुरा खेड़ा में उधार दिए तीन लाख रुपए मांगने गए युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। हत्या के मामले में एक नामजद और तीन अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने नामजद आरोपी बीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है।

धर्मपुरा खेड़ा में रहने वाले प्रवीण उर्फ टिंकू ने गांव के पास बसी डिफेंस कॉलोनी में बीर सिंह रहता है। बीर सिंह मूलरूप से लोनी के ग्राम चिरौड़ी का है। वह चालक की नौकरी करता है। टिंकू ने बीर सिंह को तीन लाख रुपए उधार दिए थे। सोमवार की शाम मिंटू तीन लाख रुपए मांगने गया था। कॉलोनी के एक ऑफिस में बीर सिंह, मिंटू और तीन अन्य लोग शराब पीने लगे। शराब पीने के दौरान उधार रकम को लेकर मारपीट शुरू हो गई थी।

दो तेजस ट्रेनें चलाएगा आइआरसीटीसी

नई दिल्ली। देश में दो तेजस ट्रेनें आइआरसीटीसी चलाएगा। खास ट्रेन निजी हाथों में सौंपने की कवायद के तहत रेल मंत्रालय ने ये फैसला किया है। ये ट्रेनें तीन साल के लिए ट्रायल के तौर पर आइआरसीटीसी को दी जाएंगी और अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल और दिल्ली-लखनऊ रूटों पर चलाई जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक इन ट्रेनों का किराया मांग आधारित होगा और इसे आइआरसीटीसी तय करेगा।

पायलट परियोजना के रूप में ट्रेनों को तीन साल के लिए आइआरसीटीसी को सौंपने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा तैयार किए गए ब्लूप्रिंट के अनुसार इन ट्रेनों में कोई छूट, विशेषाधिकार या ड्यूटी पास की अनुमति नहीं दी जाएगी। रेलवे ने यह भी कहा कि आइआरसीटीसी को सौंपी गई ट्रेनों में टिकट जांच का कार्य रेलवे स्टाफ द्वारा नहीं किया जाएगा। हालांकि इसने कहा कि उक्त ट्रेनों का एक अलग तरह का नंबर होगा और इन्हें रेलवे स्टाफ-लोको, पायलट, गार्ड और स्टेशन मास्टर द्वारा परिचालित किया जाएगा। दोनों ट्रेनों की सेवाएं शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों जैसी ही होंगी। इसके लिए रेल मंत्रालय ने आइआरसीटीसी को पत्र भी जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ से तेजस के लिए जो रूट तैयार किए गए थे, उनमें कुछ बदलाव भी किया गया है। (जनसत्ता ब्यूरो)

वाट्सऐप पर दोस्ती कर नाबालिग छात्रा से बलात्कार, आरोपी फरार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 अगस्त।

न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में वाट्सऐप से दोस्त बने एक युवक पर नाबालिग छात्रा से बलात्कार का आरोप है। पुलिस के मुताबिक, युवक ने पहले छात्रा का विश्वास जीता और फिर एक दिन ग्रेटर नोएडा स्थित अपने एक दोस्त के घर ले जाकर बलात्कार किया। घर पहुंचकर लड़की ने पूरी बात अपने परिजनों को बताई। पुलिस ने उसकी शिकायत पर अपहरण व बलात्कार की धारा के तहत मामला दर्ज कर आरोपी चिराग की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता के पास कुछ महीने पहले उसके पास एक वाट्सऐप संदेश आया। लड़की ने संदेश भेजने वाले के बारे में पूछा तो उसने दोस्ती का प्रस्ताव रख दिया। कुछ दिन के बाद उनके बीच सोशल मीडिया के जरिए बातचीत होने लगी और लड़की ने काफी सोच विचार के बाद लड़के की दोस्ती का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोनों का आपस में मिलने-जुलने का सिलसिला भी शुरू हो गया। आरोप है कि 15 अगस्त को आरोपी दोस्ती का हवाला देते हुए लड़की को घुमाने के बहाने ग्रेटर नोएडा स्थित अपने एक दोस्त के घर ले गया। कुछ देर बाद आरोपी लड़की से जबरन संबंध बनाने पर जोर देने लगा। विरोध पर जबरन बलात्कार किया। जिसके बाद शिकायत पुलिस तक पहुंची और पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और तलाश शुरू कर दी है।

डूसू चुनाव : अधिसूचना जारी, 12 सितंबर को होगा मतदान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 अगस्त।

दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से मंगलवार देर रात डीयू छात्र संघ (डूसू) चुनाव अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके मुताबिक 12 सितंबर, गुरुवार को मतदान होगा। मतगणना की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। अधिसूचना के साथ आचार संहिता भी लागू कर दी गई है।

डीयू के रजिस्ट्रार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 4 सितंबर शाम तीन बजे तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 4 सितंबर शाम छह बजे तक सभी उम्मीदवारों की सूची घोषित कर दी जाएगी। 5 सितंबर दोपहर बारह बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। और इसी दिन शाम पांच बजे चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। इसके बाद 12 सितंबर को सुबह साढ़े आठ से दोपहर एक बजे तक और दोपहर तीन बजे से साढ़े सात बजे तक मतदान किया जा सकेगा।

आचार संहिता के मुताबिक, 16 अगस्त को 17 से 22 साल तक की आयु पूरी करने वाले स्नातक पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले विद्यार्थी चुनाव लड़ सकते हैं। इसी तरह स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले विद्यार्थी, जिनकी आयु 16 अगस्त को 25 साल से अधिक हो रही है वे डूसू चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

आज के कार्यक्रम

सभा/संगोष्ठी

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : फिल्म और परिचर्चा, सीडी देशमुख सभागार, 40-मैक्समूलर मार्ग, शाम साढ़े 6 बजे।

विविध

इंडिया हैबिटाट सेंटर : नाटक महोत्सव ,स्टेन सभागार, लोधी रोड, शाम साढ़े 7 बजे।

Management Aptitude Test
MAT®
SEPTEMBER 2019
AIMA
ALL INDIA MANAGEMENT ASSOCIATION
Eligibility: Graduates / Final year students of any Graduate Course
For registration log on to
https://mat.aima.in
Paper Based Test (PBT)
Online Registration ends : 16 Sept '19
Test Date (Revised) : 21 Sept '19
Computer Based Test (CBT)
Online Registration ends : 08 Sept '19
Test Date : 14 Sept '19
Important: Previous MAT candidates can apply again
Now you can fill form & pay fee on Paytm

सुल्तानपुरी में हुई चुनौती रैली

नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिवस पर सुल्तानपुरी में चुनौती रेली और सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। इसका आयोजन पूर्व विधायक जय किशन ने किया था। चुनौती रैली में पूर्व सांसद रमेश कुमार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगानंद शास्त्री, सुरेंद्र कुमार, अनिल भारद्वाज समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। इस चुनौती रैली के माध्यम से कांग्रेस दलितों को साधने की कोशिश में जुटी है। जय किशन ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भाजपा के नेता दिल्लीवासियों से झूठे दावे कर रहे हैं। घोषणाएं कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। (जसं)

डीयू : वीर सावरकर, भगत सिंह और नेताजी की मूर्तियां स्थापित

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 अगस्त।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) छात्र संघ अध्यक्ष शक्ति सिंह की ओर से मंगलवार सुबह विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर स्थित कला संकाय के मुख्य द्वार के पास वीर सावरकर, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस की मूर्तियां स्थापित कर दी गई हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन से मूर्तियों को स्थापित करने की इजाजत नहीं ली गई थी। अन्य विद्यार्थी संगठनों ने इन मूर्तियों को स्थापित करने वाले के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की है।

शक्ति सिंह ने तीनों मूर्तियों की स्थापना के बारे में बताया कि हम पिछले साल चुनाव जीतने के बाद से ही भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर की मूर्तियों को परिसर में स्थापित करने की मांग कर रहे थे। इस संबंध में डीयू छात्र संघ (डूसू) की ओर से तीन बार विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र लिखा जा चुका है लेकिन प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उन्होंने बताया कि डूसू अध्यक्ष के रूप में बुधवार को मेरे कार्यकाल का संभवतः अंतिम दिन है और हम अपनी इस मांग को पूरी करना चाहते थे। इसलिए, हमने मंगलवार को ही इन मूर्तियों को स्थापित कर दिया। उन्होंने बताया कि अगर डीयू प्रशासन हमें मूर्तियों को लगाने के लिए कोई और जगह तय करता है तो हम इन मूर्तियों को वहां जाकर स्थापित कर देंगे लेकिन ऐसे किसी भी कीमत पर डीयू परिसर से मूर्तियां हटेंगी नहीं। शक्ति ने बताया कि इन स्वतंत्रता सेनानियों से हमारे विद्यार्थी प्रेरणा लेंगे। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों के व्यक्तिगत अनुदान से इन मूर्तियों को बनाया गया है। मूर्तियां दिल्ली में ही बनाई गई हैं।

वहीं, एनएसयूआइ के प्रदेश अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने कहा कि शहीद-ए-आजम भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के जरिए वीर सावरकर को वीर साबित करने का एबीवीपी का यह असफल प्रयास था। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। आइसा, दिल्ली की अध्यक्ष कलवप्रीत कौर ने कहा कि हम डूसू के सावरकर मॉडल को खारिज करते हैं और डीयू प्रशासन से मांग करते हैं कि वे गैरकानूनी रूप से परिसर में मूर्तियों को स्थापित करने वाले के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे।

नैशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल, बेंच-3 के सम्मुख
नई दिल्ली
कम्पनी आवेदन संख्या: सीए(सीएए)-88(एनडी)/2019
कम्पनी अधिनियम, 2013 के मामले में
और
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 और दूसरे लागू प्रावधानों के साथ
कंम्पनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 के मामले में
और
एकीकरण योजना के संबंध में
एचसीएल ईगल लिमिटेड
(स्थानांतरक कम्पनी-I/आवेदक कम्पनी-I)
और
एचसीएल कॉमनेट लिमिटेड
(स्थानांतरक कम्पनी-II/आवेदक कम्पनी-II)
और
एचसीएल टेक्नोलॉजीज सॉल्युशन्स लिमिटेड
(स्थानांतरक कम्पनी-III)
और
कान्सेपट2सिलिकॉन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
(स्थानांतरक कम्पनी-IV)
और
एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
(स्थानांतरि कम्पनी/आवेदक कम्पनी-III)
और
उनके संबंधित शेयरधारकों और क्रेडिटरों के मध्य
माननीय नैशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली बेंच-3 के निर्देशों के अनुसार स्थानांतरक कम्पनी-2 और स्थानांतरि कम्पनी के असुरक्षित क्रेडिटरों की बैठक के सूचना का विज्ञापन

एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी आवेदन संख्या सीए(सीएए)-88(एनडी)/2019 में आदेश दिनांक 9 अगस्त 2019 ("आदेश") के द्वारा माननीय नैशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली, बेंच-3 ("ट्रिब्यूनल") ने निर्देश दिया है कि एचसीएल कॉमनेट लिमिटेड (स्थानांतरक कम्पनी-II) और एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (स्थानांतरि कम्पनी) के असुरक्षित क्रेडिटरों की बैठक की जायेगी जिसमे एचसीएल ईगल लिमिटेड, एचसीएल कॉमनेट लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजीज सॉल्युशन्स लिमिटेड, कॉन्सेप्ट2सिलिकॉन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों और क्रेडिटरों के बीच एकीकरण योजना (योजना) पर विचार विमर्श किया जायेगा और यदि उचित हो तो इसे संशोधनों सहित या संशोधनों के बिना अनुमोदित किया जायेगा।

अध्यक्ष के निर्देश एवं आदेश के अनुसार एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि:

क) एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (आवेदक कम्पनी-III) के असुरक्षित क्रेडिटरों की बैठक 21 सितम्बर 2019 को दोपहर 2:00 बजे एनसीयूआई ओडिटोरियम एवं कन्वेंशन सेंटर, 3, सीरी इंस्टिट्यूटनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016 में आयोजित की जाएगी। उक्त असुरक्षित क्रेडिटरों से उक्त समय और स्थान पर बैठक में उपस्थित होने का आग्रह किया जाता है।

और

ख) एचसीएल कॉमनेट लिमिटेड (आवेदक कम्पनी-II) के असुरक्षित क्रेडिटरों की बैठक 21 सितम्बर 2019 को शाम 4:00 बजे एनसीयूआई ओडिटोरियम एवं कन्वेंशन सेंटर, 3, सीरी इंस्टिट्यूटनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016 में आयोजित की जाएगी। उक्त असुरक्षित क्रेडिटरों से उक्त समय और स्थान पर बैठक में उपस्थित होने का आग्रह किया जाता है।

उक्त नोटिस का पेषण 19 अगस्त 2019 को विधिवत रूप से पूर्ण कर लिया गया है।

बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने का अधिकार रखने वाला व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से मतदान कर सकता है, बशर्ते कि इस संबंध में सभी प्रतिनिधियों के बारे में प्रतिनिधि -प्रपत्र और मंडल संकल्प बैठक शुरू होने से 48 घण्टे पहले 806, सिद्धार्थ 96, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019 में स्थित कार्यालय में जमा किये जा चुके हो।

उक्त सूचना, योजना, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के अंतर्गत व्याख्यात्मक विवरण और प्रतिनिधि के प्रपत्र 806, सिद्धार्थ, 96, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019 स्थिति पंजीकृत कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं या अधिकृत प्रतिनिधि श्री सतविंद्र सिंह के कार्यालय वैश्य एसोसिएट्स, 11वां तल, मोहन देव बिल्डिंग, 13, टॉलस्टॉयल मार्ग, नई दिल्ली-110001 से भी प्राप्त किये जा सकते हैं। अथवा स्थानांतरि कम्पनी की वेबसाइट http://www.hcltech.com पर भी उपलब्ध है।

माननीय ट्रिब्यूनल ने न्यायाधीश(सेवानिवृत्त) प्रतिभा रानी को स्थानांतरक कम्पनी-2 और स्थानांतरि कम्पनी के असुरक्षित क्रेडिटरों की बैठक की अध्यक्षा, श्री विपुल गांडा, अधिवक्ता को वैकल्पिक अध्यक्ष और श्री रोहित अग्रवाल, कम्पनी सचिव को जाचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है।

यदि यह योजना स्थानांतरक कम्पनी और स्थानांतरि कम्पनी के असुरक्षित क्रेडिटरों की संबंधित बैठक में अनुमोदित हो जाती है तो यह माननीय ट्रिब्यूनल के अनुमोदन पर निर्भर होगी।

दिनांक: 20/08/2019
स्थान: नई दिल्ली
हस्ता-/
न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) प्रतिभा रानी (अध्यक्ष)
एचसीएल कॉमनेट लिमिटेड और एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के असुरक्षित क्रेडिटरों की बैठक

नैशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल, बेंच-3 के सम्मुख
नई दिल्ली
कम्पनी आवेदन संख्या: सीए(सीएए)-88(एनडी)/2019
कंम्पनी अधिनियम, 2013 के मामले में
और
कंम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 और दूसरे लागू प्रावधानों के साथ
कंम्पनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 के मामले में
और
एकीकरण योजना के संबंध में
एचसीएल ईगल लिमिटेड
(स्थानांतरक कम्पनी-I/आवेदक कम्पनी-I)
और
एचसीएल कॉमनेट लिमिटेड
(स्थानांतरक कंम्पनी-II/आवेदक कम्पनी-II)
और
एचसीएल टेक्नोलॉजीज सॉल्युशन्स लिमिटेड
(स्थानांतरक कम्पनी-III)
और
कॉन्सेप्ट2सिलिकॉन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
(स्थानांतरक कम्पनी-IV)
और
एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
(सीानांतरि कम्पनी /आवेदक कम्पनी-III)
और
उनके संबंधित शेयरधारकों और क्रेडिटरों के मध्य
माननीय कंम्पनी लॉ ट्रिब्युनल, नई दिल्ली बेंच-3 के निर्देशों के अनुसार स्थाानांतरि कंम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक की सूचना

एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी आवेदन संख्या सीए(सीएए)-88(एनडी)/2019 में आदेश दिनांक 9 अगस्त 2019 ("आदेश") के द्वारा माननीय नैशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली, बेंच-3 ("ट्रिब्यूनल") ने निर्देश दिया है कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड("स्थानांतरि कम्पनी") के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक की जायेगी, जिसमें एचसीएल ईगल लिमिटेड, एचसीएल कॉमनेट लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजीज सॉल्युशन्स लिमिटेड, कॉन्सेप्ट2सलिकॉन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों और क्रेडिटरों के बीच एकीकरण योजना (योजना) पर विचार विमर्श किया जायेगा और यदि उचित हो तो इसे संशोधनों सहित या संशोधनों के बिना अनुमोदित किया जायेगा।

अध्यक्ष के निर्देश एवं आदेश की अनुपालना में एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि स्थानांतरि कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक 21 सितम्बर 2019 को सुबह 11 बजे एनसीयूआई ओडिटोरियम एवं कन्वेंशन सेंटर, 3, सीरी इंस्टिट्यूटनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016 में आयोजित की जाएगी। इक्विटी शेयरधारकों से उक्त समय और स्थान पर बैठक में उपस्थित होने का आग्रह किया जाता है।

स्थानांतरि कम्पनी ने 19 अगस्त 2019 को इक्विटी शेयरधारकों को भौतिक रूप से व्याख्यात्मक विवरण के साथ सूचना भेज दी है जिन्होंने अपने ई-मेल पते डिपॉजिटरी / स्थानांतरि कम्पनी क रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट क पास रजिस्टर नहीं किए हैं और उन इक्विटी शेयरधारकों के पास इलेक्ट्रोनिक माध्यम से भेज दिए हैं जिनके ई-मेल पते डिपॉजिटरी/स्थानांतरि कम्पनी क रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास रजिस्टर किए गये हैं। सूचना उन सभी इक्विटी शेयरधारकों के पास भेजे गए हैं जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी मालिकों की सूची में दर्ज हैं जैसा कि 09 अगस्त 2019(निर्दिष्ट तिथि)को डिपॉजिटरी द्वारा प्रदान किए गए हैं।

बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने का अधिकार रखने वाला व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से मतदान कर सकता है, बशर्ते कि सभी प्रतिनिधियों के बारे में सूचना प्रतिनिधि-प्रपत्र और मंडल संकल्प बैठक शुरू होने से 48 घण्टे पहले जमा किये जा चुके हो।

उक्त सूचना, योजना, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के अंतर्गत व्याख्यात्मक विवरण और प्रतिनिधि के प्रपत्र 806, सिद्धार्थ, 96, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019 स्थिति पंजीकृत कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं या अधिकृत प्रतिनिधि श्री सतविंद सिंह के कार्यालय वैश्य एसोसिएट्स, अधिवक्ता 11वां तल, मोहन देव बिल्डिंग, 13, टॉलस्टॉयल मार्ग, नई दिल्ली-110001 से भी प्राप्त किये जा सकते हैं। और वें स्थानांतरि कम्पनी की वेबसाइट http://www.hcltech.com पर भी उपलब्ध है।

माननीय ट्रिब्यूनल ने अध्यक्ष के रूप में न्यायधीश (सेवानिवृत्त) प्रतिभा रानी, वैकल्पिक अध्यक्ष के रूप में श्री विपुल गांडा, अधिवक्ता और श्री रोहित अग्रवाल, कम्पनी सचिव को बैठक के जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है।

एनसीएलटी के आदेश की अनुपालना में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और 230(4) व कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों की अनुपालना में स्थानांतरि कम्पनी ने अपने शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा बैठक से पहले अपने मतदान करने या बैठक स्थल पर ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान की है। यदि एक इक्विटी शेयरधारक दोनों माध्यमों से मतदान करता है तो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से किया गया मतदान मान्य होगा और बैठक के स्थल पर ई-वोटिंग से किया गया मतदान अवैध माना जाएगा। इसके अलावा जो इक्विटी शेयरधारक अपना मतदान रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से करता है वह बैठक में उपस्थित हो सकता है लेकिन उसे दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि 22 अगस्त 2019 को सुबह 9 बजे से शुरू होगी और 20 सितम्बर 2019 को सांय 5 बजे खत्म होगी।

जांचकर्ता इक्वीटी शेयरधारकों/प्रॉक्सी/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा की गई वोटिंग के बाद अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को भेजेंगे। अध्यक्ष बैठक के परिणामों की रिपोर्ट को बैठक खत्म होने के बाद 1 (एक) सप्ताह में भेजने के लिए जिम्मेदार होगें।

ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी पूछताछ और/या शिकायत के लिए इक्विटी शेयरधारक प्राय पूछे जाने वाले प्रश्नों को देख सकते हैं जो शेयरधारक नियमावली में उपलब्ध हैं जो www.evoting.nsdl.com पर डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध है या टोल फ्री नम्बर 1800-222-990 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर आग्रह कर सकते हैं।

हस्ता-/
न्यायधीश (सेवानिवृत्त) प्रतिभा रानी (अध्यक्ष)
दिनांक: 20/08/2019
स्थान: नई दिल्ली
एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक.